कार्यालय प्राचार्य, स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय, कोरबा, जिला–कोरबा(छ0ग0)
मो. नं. – 98268 39141

पत्र क्रमांक/ 520 / स्था./2023/कोरबा, दिनांक 12/7/23.

!! अतिथि व्याख्याता हेतु विज्ञापन !!

कार्यालय आयुक्त, उ.शि.संचालनालय रायपुर का पत्र कमांक 504/126/ आउशि/राज स्था/2023 नवा रायपुर दिनांक 10.07.2023 एवं अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र कमांक एफ–3–54/2020/38–1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 07.07.2023 के अनुसार **स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय, कोरबा,** अध्यापन कार्य करने हेतु सक्षम अतिथि व्याख्याता हेतु निम्नलिखित विषयों में आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ दिनांक 25.07.2023 को सायं 5.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन केवल डाक द्वारा अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) ही मान्य होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

योग्यताः– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) एवं छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा निर्धारित मापदण्ड।

कमांक	विषय	पद संख्या
01	भौतिक शास्त्र	01
02	रसायन शास्त्र	01
03	गणित	01
04	अर्थशास्त्र	01
05	राजनीति शास्त्र	01
06	भूगोल	01
07	हिन्दी	01
08	अंग्रेजी	01
09	कम्प्यूटर विज्ञान	01
10	कम्प्यूटर एप्लीकेशन	01
11	वाणिज्य	02

टीपः– 01) जिन विषयों में नियमित प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक अथवा स्थानांतरण से पदस्थापना की जायेगी, उन विषयों में कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से निरस्त मानी जावेगी।

02) अंग्रेजी माध्यम के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याताओं के संबंध में जारी होने वाले विज्ञापनों में यह भी उल्लेख करें कि आवेदक को अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन का अनुभव हो तथा अध्यापन के दौरान छात्र–छात्राओं से अंग्रेजी माध्यम से संवाद कर विषय से संबंधित जिज्ञासाओं का भी निराकरण करने में सक्षम होना अनिवार्य होगा। प्राप्त आवेदनों के आधार पर आवेदकों को मॉक कक्षा में अध्यापन हेतु आमंत्रित किया जावेगा तथा संचालनालय/ महाविद्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा अंग्रेजी माध्यम में अध्यापन का अनुभव/ सक्षमता एवं दक्षता के परीक्षण उपरांत अनुशंसित अभ्यर्थी ही अतिथि व्याख्याता के रूप में पात्र माने जायेगे। जिसके पश्चात् निर्धारित मापदण्ड/ गुणानुकम के आधार पर अध्यापन कार्य हेतु अतिथि व्याख्याताओं को आमंत्रित किया जावेगा।

शर्ते :–

01. अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन के लिए सक्षम/इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।
02. अभ्यर्थियों द्वारा अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन किये जाने का स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
03. आवेदन के साथ 10वीं, 12, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एमफिल/पी.एचडी., अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।

04. दिनांक 25.07.2023 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ईमेल/ऑनलाईन आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा।

05. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर मेरिट राज्य शासन के नियमानुसार ही तैयार की जावेगी।

06. प्राप्त आवेदनों की अनंतिम चयन सूची का प्रकाशन तिथि 27.07.2023 को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट www.gevpgkrb.ac.in पर प्रकाशित किया जावेगा।

07. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 28.07.2023 तक होगी।

08. अंतिम सूची व प्रकाशन शासन के निर्देशानुसार किया जावेगा जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाईट www.gevpgkrb.ac.in अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।

09. अंतिम गुणानुक्रम सूची को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति की ओर प्रेषित किया जावेगा।

10. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति द्वारा अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण हेतु आवेदकों की लिखित एवं अंग्रेजी भाषा में शिक्षण कौशल संबंधी परीक्षा ली जावेगी। अभ्यर्थी को दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

11. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति द्वारा परीक्षा उपरांत **उपर्युक्त/अनुपयुक्त** आवेदकों की सूची महाविद्यालयों को प्रेषित की जावेगी।

12. महाविद्यालय स्तर पर **उपर्युक्त** आवेदकों की वरियता सूची उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार तैयार कर अध्यापन व्यवस्था हेतु अतिथि व्याख्याताओं को आमंत्रित किया जावेगा, जिसका प्रकाशन वेबसाईट में अपलोड किया जावेगा एवं सूचना पटल में उपलब्ध रहेगा इस वरीयता सूची पर किसी भी प्रकार का दावा आपत्ति स्वीकार नहीं होगा।

13. आमंत्रित अतिथि व्याख्याता को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही किसी अन्य शासकीय/ अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है।

14. अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।

15. प्रति व्याख्यान 300/– रू (अधिकतम 1200.00 एक हजार दो सौ रू. प्रतिदिन) की दर से मानदेय होगा। जो प्रतिमाह 31200.00 (इकतीस हजार दो सौ) से अधिक नहीं होगा।

16. चयन प्रकिया पूर्ण होने की तिथि में जिन संकाय/ विषय में प्रवेशित छात्र संख्या शून्य रहती है तो ऐसे विषय/ संकाय में चयनित उम्मीदवार को अध्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया जावेगा।

17. आवेदक अपना आवेदन प्रभारी प्राचार्य, स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय कोरबा जिला कोरबा के नाम से लिखेगे।

18. आवेदक बंद लिफाफे के उपर पत्राचार का पता **प्राचार्य, शासकीय इं.वि. स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोरबा रजगामार रोड** (छ.ग.) पिन कोड.–495677 एवं आवेदित विषय अवश्य लिखे।

12.07.23

(डॉ. श्रीमती साधना खरे)
प्रभारी प्राचार्य
स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श
महाविद्यालय, कोरबा, जिला–कोरबा (छ.ग.)

Principal
S.A.G.E.M.M. College
Korba (C.G.)

पृ. पत्र क्रमांक/ 521 / स्था./2023/कोरबा, दिनांक 12/7/23

प्रतिलिपिः–

03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी द्वितीय एवं तृतीय तल इंद्रावती भवन नवा रायपुर को सूचनार्थ।

04. अपर संचालक उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय शासकीय ई.रा.रा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर को सूचनार्थ।

12.07.23

(डॉ. श्रीमती साधना खरे)
प्रभारी प्राचार्य
स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श
महाविद्यालय, कोरबा, जिला–कोरबा (छ.ग.)

Principal
S.A.G.E.M.M. College
Korba (C.G.)